भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 4513
गुरुवार, 19 मार्च, 2026/28 फाल्गुन, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन सुरक्षा को मजबूत करना

4513. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में तकनीकी खराबियों, विमानों की ग्राउंडिंग, एटीसी कर्मियों अथवा उड़ान दल की कमी तथा प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण उड़ानों में विलंब, रद्द होने तथा सुरक्षा से संबंधित घटनाओं में वृद्धि हुई है:

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान कारण-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे यात्रियों को हुई असुविधा और उन्हें की गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के माध्यम से विमानन सुरक्षा संपरीक्षा को सुदृढ़ करने, अनुरक्षण अनुपालन सुनिश्चित करने, एटीसी क्षमता बढ़ाने तथा उड़ान दल के प्रशिक्षण के लिए कोई ठोस, समयबद्ध और अनिवार्य कार्य-योजना लागू कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो निर्धारित अपेक्षित समय-सीमा, जिम्मेदार एजेंसियों तथा इस संबंध में अब तक की प्रगति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): अनुसूचित एयरलाइनें अनुमोदित अनुसूचियों के अनुसार उड़ानों का परिचालन करती हैं। हालाँकि, मौसम, तकनीकी मुद्दे, परिचालन बाधाओं, एटीसी प्रतिबंधों, हवाईअड्डे से संबंधित मुद्दों या प्रतिक्रियात्मक प्रभाव जैसे कारकों के कारण देरी या रद्दकरण हो सकता है। एयरलाइनों को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) का अनुपालन करना अपेक्षित है, जिनमें देरी, रद्दकरण और बोर्डिंग से इनकार के मामलों में यात्रियों को सहायता का प्रावधान है।

(ग) और (घ): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) निरंतर विनियामक पर्यवेक्षण के माध्यम से विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसमें वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) के तहत संपरीक्षाएं, रैंप निरीक्षण, रात्रि निगरानी, स्पॉट चेक और विशेष संपरीक्षाएं शामिल हैं। पायी गयी कमियों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रचालकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और गैर-अनुपालन के मामलों में वित्तीय दंड सहित प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है।

डीजीसीए ने सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने और अग्रिम तैयारी और परिचालन विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य सुरक्षा परिपत्र 01/2025 और 02/2025 भी जारी किए हैं।

इसके अलावा, सरकार ने जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए शीघ्र भर्ती, महत्वपूर्ण हवाईअड्डों पर कर्मियों की पुनर्तैनाती, नियमित निरीक्षण और प्रशिक्षण, डीजीसीए और आईसीएओ मानकों का कड़ाई से अनुपालन, और बेहतर आकस्मिक योजना, स्वचालन और निगरानी प्रणाली के माध्यम से विमानन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं।
